

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2020

(आयकर)

का.आ. 2903(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं. का.आ. 2755(अ), तारीख 13 अगस्त, 2020, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया जा चुका है, की अनुसूची – IV में,

- (i) क्रम सं. 78 पर प्रविष्टि को निरसित कर दिया जाएगा,
- (ii) क्रम सं. 16 में, कॉलम सं. (2), (3) और (4) में, “प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बेंगलुरु- 4; बेंगलुरु और प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, गुलबर्गा,” शब्दों के स्थान पर क्रमशः “प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बेंगलुरु - 2; बेंगलुरु और प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बेंगलुरु -4” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाता है।
- (iii) क्रम सं. 17 में, कॉलम सं. (2), (3) और (4) में, “प्रधान आयकर आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, पणजी; पणजी और प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हुबली,” शब्दों के स्थान पर क्रमशः “प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हुबली; हुबली और प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, गुलबर्गा” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाता है।
- (iv) क्रम सं. 77 में, कॉलम सं. (2) में, “प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, देहरादून-1” शब्दों के स्थान पर “प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, देहरादून” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाता है।
- (v) क्रम सं. 86 में, कॉलम सं. (2), (3) और (4) में, “प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-8; कोलकाता और प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-11” शब्दों के स्थान पर क्रमशः “प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-5; कोलकाता और प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-8” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाता है।
- (vi) क्रम सं. 87 में, कॉलम सं. (2), (3) और (4) में, “प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-8; कोलकाता और प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-17,” शब्दों के स्थान पर क्रमशः “प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-5; कोलकाता और प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-17” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाता है।

- (vii) क्रम सं. 87 के पश्चात, क्रम सं. 87क अंतःस्थापित किया जाता है और , कॉलम सं. (2), (3) और (4) में, “प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-9; कोलकाता और प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-11” शब्दों को क्रमशः अंतःस्थापित किया जाता है।
- (viii) क्रम सं. 94 में, कॉलम सं. (2), (3) और (4) में, “प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, लखनऊ-1; लखनऊ और प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुरादाबाद,” शब्दों के स्थान पर क्रमशः “प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बरेली; बरेली और प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुरादाबाद” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाता है।
- (ix) क्रम सं. 96 के पश्चात, क्र. सं. 96क अंतःस्थापित किया जाता है और कॉलम सं. (2), (3) और (4) में, “प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बरेली; बरेली और प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हलद्वानी” शब्दों को जोड़ा जाता है।
- (x) क्रम सं. 104 के पश्चात, क्र. सं. 104क अंतःस्थापित किया जाता है और कॉलम सं. (2), (3) और (4) में, “प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-8; मुम्बई और प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -7” शब्दों को शामिल किया जाता है।

[अधिसूचना सं. 69/2020/फा. सं. 187/3/2020 (आईटीए.-I)]

गुलज़ार अहमद वानी, अवर सचिव

टिप्पण : प्रधान अधिसूचना सं. 51/2014, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड 2 में का.आ. सं. 2753(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 2755(अ) तारीख 13 अगस्त, 2020 के तहत संशोधित की गई थी।